न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)
राजस्व आवेदन संख्या :– 118/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 38वर्ष 2. चुनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 25वर्ष जातियान जाट, निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन हाल निवासी दुदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।		1. मोहिब पुत्र मगन उम्र 50वर्ष 2. लुकमान पुत्र मगन उम्र 48वर्ष 3. हुसैन पुत्र मगन उम्र 45वर्ष 4. शफीमोहम्मद पुत्र बिलालखान उम्र 45वर्ष 5. युसबखान पुत्र बिलालखान उम्र 40वर्ष 6. मुकियों पत्नी मगन उम्र 80वर्ष 7. बिलालखान पुत्र हामीद उम्र 75वर्ष 8. अलीखान पुत्र हामीद उम्र 70वर्ष 9. दादलखान पुत्र हामीद उम्र 60वर्ष 10. हुमायतखातून पत्नी मोहम्मदखान उम्र 35वर्ष 11. सभाई पत्नी जुसबखान उम्र 34वर्ष, सभी जातियान मुसलमान, निवासी दूदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान। 12. शाखा प्रबंधक टीएजीबी शाखा मांगता (धोरीमन्ना) 13. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 22/10/20

अधिवक्ता:–

01. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–::निर्णय::– दिनांक:– 27/12/22

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 रा. का. अधिनियम के तहत श्रीमान् के न्यायालय में सरद मौजा दुदिया कलां, पटवार मण्डल मांगता, तहसील धोरीमन्न के संयुक्त खातेदारी का खसरा संख्या 319/238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी सोयम अवस्थित है, उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी में से प्रार्थीगण द्वारा 127/2040 हिस्से अर्थात 19–17 बीघा भूमि दिनांक 22.03.2017 को श्री सुमार खां वल्द हामीद कौम मुसलमान साकिन दुदिया कलां से जरिए रजि. बैचान दस्तावेज से क्रय की जिसका नामांतरण संख्या 352 दिनांक 05.05.

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

2017 को पारित किया गया, इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण 127/2040 हिस्से अर्थात 19–17 बीघे के अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज है। कि संयुक्त खातेदारी के उक्त खसरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन नहीं हो रखा है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को कब्जे काश्त से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा सिंचाई के साधनों आदि को ध्वस्त करने पर आमादा है, साथ ही सहखातेदारी के खेत को अप्रार्थीगण किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने में यदि सफल हो जाते हैं तो न्यायालय में वाद बहुलता बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी लिहाजा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे कि वे खुद या किसी अन्य सहयोगियों के माध्यम से प्रार्थीगण के हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे और न ही उक्त खसरे की आराजी को अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करे और न ही पक्का व कच्चा निर्माण करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, अप्रार्थीगण को भेजे गए नोटिसों की डाक रसिदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई, अप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए आठ महीने से ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद अप्रार्थीगण हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर विस्तारपर्वूक सुनी, हमने पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1– प्रथम दृष्टया मामला :– इसका अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो, साथ ही वादपत्र एवं उसके साथ उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि यदि प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के द्वारा सक्षम साक्ष्य के आधार पर वादपत्र को ध्वस्त नहीं कर दिया गया तो वादी के पक्ष में डिक्री होगा। चूंकि प्रार्थीगण खुद सहखातेदार है और उनके द्वारा बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया है एवं उनके हिस्से तक का दावा डिक्री होने की पूर्ण संभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपने हिस्से तक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2– सुविधा का संतुलन :– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि भू–अभिलेख के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का 127/2040 हिस्सा है और यह मान्य सिद्धांत है कि जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से तक अधिकार माना जाता है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होता है।

27/12/22

सहायक कलक्टर
SDO सोजतसिटी

3– अपूरणीय क्षति :– चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिंदू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके हैं साथ ही प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/निर्माण किया जा सकता है और इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो प्रकरण के सम्यक निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आएगी, चूंकि बेचान होने से नए खातेदार आएंगे और इससे मौके पर परिवर्तन हो सकता है जिससे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का निर्धारण करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है इसलिए वादग्रस्त आराजी की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है और ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को क्षति कारित होने की प्रबल संभावना रहेगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण/प्रार्थीगण तीनों बिंदुओं यथा प्रथम दृष्ट्या मामाला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, लिहाजा अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को मूल वाद के निपटारा होने तक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व मौजा दुदिया कलां पटवार मण्डल मांगता, तहसील धोरीमन्ना के खसरा संख्या 319/238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी सोयम की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन ना करें और ना ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें तथा साथ ही प्रार्थीगण के 127/2040 हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें अर्थात् मौके पर प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी में अप्रार्थीगण निर्माण इत्यादि नहीं करें और न ही इन्हें 127/2040 हिस्से से बेदखल करें। पत्रावली इसी कदर फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना ★ जिला बाड़मेर ★ सत्यमेव जयते

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को लिखाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर SDO धोरीमना